



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273809
CG-DL-E-24062026-273809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 10]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.नि.आ. 10(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24th जून, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. जे एस (एयर)/ डी एम ए/ 36/टी एस पी]

एयर वाइस मार्शल विक्रम गौर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

S.R.O. 10(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 24th day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 16 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952), shall come into force.

[F. No. JS(AIR)/DMA/36/TSP]

AIR VICE MARSHAL VIKRAM GAUR, Jt. Secy.